बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड),
पटना – 800001

<u>द्वितीय शुद्धि पत्र</u>

बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा नियुक्ति हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के अधियाचना पत्रांक 3852 दिनांक–31.07.2009 द्वारा 114 पदों की आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ संसूचित की गई थीं। उक्त अधियाचना के आलोक में आयोग के विज्ञापन संख्या–12/2010 के अधीन सुयोग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये गए थे जिसमें पात्रता एवं शर्तें निम्न प्रकार निर्धारित की गई थीं:–

(i) सेवा के सहायक ग्रेड में सम्पुष्ट हो।

(ii) सेवाकाल– सहायक ग्रेड में उसकी सेवा 05 (पाँच) वर्षों से अधिक की हो गयी हो।

पुनः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संशोधित अधियाचना पत्रांक 3374 दिनांक 04.11.2011 द्वारा विज्ञापन संख्या 12/2010 के संदर्भ में उम्मीदवारों की पात्रता एवं सेवा शर्तों के अधीन अपेक्षित सहायक ग्रेड में पाँच वर्षों से अधिक की सेवा की गणना हेतु कट–ऑफ डेट दिनांक 01.08.2008 निर्धारित करने का परामर्श संसूचित किया गया था। तदनुसार आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 12/2010 के संदर्भ में दिनांक 16.02.2012 को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित शुद्धि पत्र में विभागीय पत्रांक 3374 दिनांक 04.11.2011 की कंडिका (i) एवं (ii) में पात्रता एवं विज्ञापित रिक्तियों के संबंध में निर्धारित विभाग के निर्णय को प्रकाशित किया गया था। उक्त विभागीय निर्णय के आलोक में आयोग द्वारा प्रकाशित शुद्धि पत्र में उम्मीदवारों की पात्रता एवम् शर्तों के अधीन निर्धारित सहायक ग्रेड में 5 वर्षों से अधिक की सेवा की गणना हेतु कट–ऑफ डेट दिनांक 01.08.2008 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी०डब्लू०जे०सी० सं०– 6805/2012, धर्मवीर प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 30.04.2012 को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में आयोग के पत्रांक 293 दिनांक–16.05.2012 द्वारा अग्रतर कार्रवाई हेतु विभाग के निर्णय की अपेक्षा की गई थी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 9371 दिनांक 29.06.2012 द्वारा सूचित किया गया है कि "प्रश्नगत बिन्दु पर विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता, बिहार का परामर्श प्राप्त किया गया। उक्त परिप्रेक्ष्य के संबंध में प्रश्नगत बिन्दु पर प्राप्त परामर्श के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि–

(i) विज्ञापन सं०– 12/2010 के संदर्भ में आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि 11.06.2010 को सहायक ग्रेड में 5 वर्षों की सेवा अवधि की गणना हेतु कट–ऑफ डेट निर्धारित किया जाता है।

अतएव विभागीय पत्रांक 3374 दिनांक 04.11.2011 द्वारा संसूचित परामर्श को उक्त हद तक संशोधित समझा जाय तथा तदनुसार अपेक्षित शुद्धि पत्र प्रकाशित कर आवश्यक कार्रवाई सम्पन्न की जाय।"

तदालोक में आयोग द्वारा प्रकाशित शुद्धि पत्र में विज्ञापन संख्या– 12/2010 के संदर्भ में निर्धारित पात्रता उपर्युक्त कंडिका (i) के अनुरूप संशोधित की जाती है। विज्ञापन/पूर्व प्रकाशित शुद्धि पत्र की अन्य शर्तें पूर्ववत्त रहेंगीं।

परीक्षा नियंत्रक
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना